मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 13, 1946)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 तथा

(ख) द रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री नागर सिंह चौहान, वन मंत्री -**

(क) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 21 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-2021

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ख) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ग) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा

(घ) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का एकविंशंति: (इक्कीसवां) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 66 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ख) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ग) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा

(घ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के अन्तर्गत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

पटल पर रखेंगे.

(5) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*),** भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगी.

(6) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति (*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*),** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन (*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*),** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ब) की अपेक्षानुसार मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** प्रदेश में संचालित यूनानी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम को हिन्दी में न पढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील, लखन घनघोरिया, सदस्य,** प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 122 जुन्नारदेव (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सुनील उईके एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 128 पांढुर्णा (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री निलेश उईके को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 1 जुलाई से 13 जुलाई, 2024 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.".

6. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य,** जबलपुर जिले के राम मनोहर लोहिया वार्ड अंतर्गत त्रिमूर्ति टाईल्स के बाजू से दमोह नाका मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड कार्य स्वीकृत करने,

(2) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम रजौरा से कामद रोड मुख्य मार्ग तक रोड स्वीकृत कर डामरीकरण कराये जाने,

(3) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य,** बालाघाट नगर के हनुमान चौक से बैहर चौकी एवं वार्ड क्रमांक-1 से वार्ड क्र.-6 तक नाले का निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के अटेर अंतर्गत ग्राम चौकी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(5) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी जिले के सापापार (मुंगवानी) से चौड़ा दिघौरी मार्ग निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री सुरेश राजे, सदस्य,** ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत वार्ड क्र.2 में चक ब्रिजपुर में सड़क, स्ट्रीट लाईट एवं पीने का पानी की व्यवस्था कराये जाने,

(7) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले की ग्राम पंचायत रामाधामा में बयड़ीपुरा से अलावापुरा, सातपुरा, अहेरवास कुटीर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य,** झाबुआ जिले के ग्राम मियाटी में नल-जल योजनांतर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री विपीन जैन, सदस्य,** मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत बालोदिया अंतर्गत खाखरीखेड़ा में माताजी मंदिर से प्रभुदेवदा के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम रानीपुरा अंतर्गत सिद्ध बाबा मंदिर के पास हैण्डपंप खनन कराये जाने,

(11) **श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम माटियामेल में स्कूल फल्या के पास नालों पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम शिवपुर से रामपुरिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(13) **श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य,** दमोह जिले के हटा अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़ियादोह को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने,

(14) **श्री विक्रम सिंह, सदस्य,** सतना जिले के ग्राम झण्ड में चौपड़ा नाथ स्वामी तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

(15) **श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य,** अनूपपुर जिले के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय का नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने,

(16) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले की शास.उ.मा.वि. हरदुआ/ खमरिया में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री आरिफ मसूद, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक-19 में राजाजी का कुंआ से नावेद भाई डेन्टर शॉप तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(18) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य,** सागर जिले के ग्राम नरयावली में तालाब का गहरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने,

(19) **श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य,** बालाघाट जिले के लामता सब-स्टेशन से चांगीटोला सब-स्टेशन तक एक अतिरिक्त 33 के.व्ही. विद्युत लाईन डलवाये जाने,

(20) **श्री देवेन्द्र नारायण सखवार, सदस्य,** मुरैना जिले के अंबा अंतर्गत मजरा कुम्हारपुरा में भडौली रोड से कुम्हारपुरा तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री भैरोंसिंह बापू, सदस्य,** आगर-मालवा जिले के ग्राम गोविन्दा से बड़ौदी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य,** सागर जिले के भगत सिंह वार्ड में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(23) **श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम टेमाची में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,** दतिया जिले के सेंवढ़ा नगर अंतर्गत गोविन्द महाविद्यालय में एक नवीन भवन का निर्माण कराये जाने,

(25) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य,** मैहर जिले के ग्राम मढ़ई में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने,

- 3-

(26) **श्री अरुण भीमावद, सदस्य,** शाजापुर जिले के कुमारीया (खास) से दुधान्य तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य,** शिवपुरी जिले के पोहरी अंतर्गत नगर परिषद बैराड़ में आई.टी.आई. खोले जाने,

(28) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर अंतर्गत ग्राम दिगौड़ा एवं मोहनगढ़ में सीनियर कन्या छात्रावास खोले जाने,

(29) **श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य,** शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत नगर पंचायत मगरौनी में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(30) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर जिले के वार्ड क्र-20 में आसमानी माता मंदिर में सिद्धेश्वर नगर से सुखवीर तोमर तक रोड का निर्माण कराये जाने,

(31) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** नर्मदापुरम जिले के ग्राम मेहरागांव स्थित शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने,

(32) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम रियावन से कंसेर- कालूखेड़ा एवं अंबा से दौलतपुरा-बोदिना तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(33) **श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य,** कटनी जिले के बहौरीबंद अंतर्गत ग्राम बोराहा में पशु औषधालय की स्थापना कराये जाने,

(34) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के सरदारपुरा अंतर्गत ग्राम रूपारेल, झाई एवं अन्य ग्रामों की प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराये जाने,

(35) **श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम बूदौर शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(36) **इंजी. ऋषि अग्रवाल, सदस्य,** गुना जिले के बमौरी अंतर्गत पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना में वंचित ग्रामों को शामिल कराते हुए छतरपुरा तालाब का निर्माण कराये जाने,

(37) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के छिरवाखेरा में गारंटी शाला या लिंक शाला प्रारंभ कराये जाने,

(38) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के ग्राम रतनपुर से भोज्या पठार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(39) **श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम बडौनकलां से दफाई कोटरा स्टेशन तक सड़क एवं मयसोम नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(40) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले की शिवनगर कॉलोनी अंतर्गत विन्द्रावन तालाब से निकलने वाले नाले से अतिक्रमण हटाये जाने,

(41) **श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य,** सिवनी जिले के केवलारी अंतर्गत बीसा, छपरा, धनौरा एवं सिवनी में फसल बीमा राशि का भुगतान कराये जाने,

(42) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के सेमरिया में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन की व्यवस्था कराये जाने,

(43) **श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य,** भोपाल शहर के नगर निगम द्वारा एक प्रोपर्टी पर अलग-अलग मदों में कर न लिया जाकर एक ही कर लिये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री नागर सिंह चौहान, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2024-2025 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

9. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रस्ताव करेंगी -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2024-2025 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

11. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

12. वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

निर्धारित समय			
1 घण्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या – 1	सामान्य प्रशासन
		मांग संख्या – 2	विमानन
		मांग संख्या – 3	गृह
		मांग संख्या – 5	जेल
		मांग संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
		मांग संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन
		मांग संख्या – 25	खनिज साधन
		मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य
		मांग संख्या – 32	जनसंपर्क
		मांग संख्या – 41	प्रवासी भारतीय
		मांग संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
		मांग संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास
		मांग संख्या – 57	आनंद.
30 मि.	(2)	मांग संख्या – 6	वित्त
		मांग संख्या – 7	वाणिज्यिक कर
		मांग संख्या – 31	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी.
1 घण्टा	(3)	मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा.
1 घण्टा	(4)	मांग संख्या – 33	जनजातीय कार्य
		मांग संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास
		मांग संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन.
30 मि.	(5)	मांग संख्या – 22	नगरीय विकास एवं आवास
		मांग संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल.
1 घण्टा	(6)	मांग संख्या – 18	श्रम
		मांग संख्या – 30	ग्रामीण विकास
		मांग संख्या – 40	पंचायत.
30 मि.	(7)	मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य.
30 मि.	(8)	मांग संख्या – 8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय.
30 मि.	(9)	मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा
		मांग संख्या – 36	परिवहन.
30 मि.	(10)	मांग संख्या – 23	जल संसाधन.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 जुलाई, 2024